



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 149) पटना, बुधवार, 17 फरवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

17 फरवरी 2016

एस०ओ० 35, दिनांक 17 फरवरी 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 35/1948) की धारा-10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, राज्य के सिनेमा गृहों में प्रदर्शित होनेवाले हिन्दी चलचित्र "AIRLIFT" को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा-3(1) के अधीन भुगतये मनोरंजन कर के भुगतान से छूट देते हैं।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विमुक्ति-04/2016-697)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

17 फरवरी 2016

एस०ओ० 36, एस०ओ० 35, दिनांक 17 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विमुक्ति-04/2016-698)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

The 17th February 2016

S.O. 35, dated the 17th February 2016—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35 of 1948), the Governor of Bihar is pleased to exempt the Hindi film " AIRLIFT " exhibited in

Cinema Halls of the State from payment of entertainment tax payable under section 3(1) of the said Act for a period of one year from the date of issuance of this notification.

[(F.No. Bikri kar/Vimukti-04/2016-697)]

By order of the Governor of Bihar,

Sujata Chaturvedi,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 149-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>